

झारखण्ड शिक्षा परियोजना,

जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखण्ड परिसर, चतरा-825401

ईमेल- chatrajepe@gmail.com

पत्रांक- 548

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झा.शि.प., चतरा।

सेवा में,

अध्यक्ष/ सचिव,
इन्दुमति टिबडेवाल शिशुमंदिर,
प्रखण्ड चतरा, जिला- चतरा।

चतरा/दिनांक- 10.7.18

विषय:- सत्र 2016-17 में 25% कोटा अंतर्गत अध्ययनरत् बच्चों का शिक्षण शुल्क का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

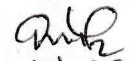
महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत 25% कोटा अंतर्गत अध्ययनरत् कुल 10 बच्चों के लिए वार्षिक शुल्क के रूप में प्रति बच्चा 5100/- रुपये की दर से उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, नजारत शाखा चतरा के द्वारा आपके बैंक खाता में सीधे 51,000/- रुपये अंतरण किया गया है। इस आशय की सूचना ज्ञापांक 35/न. जा. दिनांक 08.02.2018 के द्वारा दी गई है।

अतः दी गई अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ निम्न प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें-

01. सत्र 2016-17 में नामांकित एवं अध्ययनरत् बच्चों का उपस्थिति पंजी की छायाप्रति।
02. सत्र 2016-17 का वार्षिक परीक्षा परिणाम विवरणी।
03. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार।
04. इन बच्चों का अलग से विद्यालय द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिये जाने का प्रमाण पत्र।
05. बच्चों की सूची यथा बच्चा का नाम/ पिता का नाम/ पता/ उम्र/ वर्ग/ नामांकन की तिथि/ वर्ष

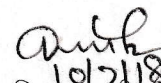
विश्वासभाजन,


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झा.शि.प., चतरा।

ज्ञापांक- 548

चतरा/ दिनांक- 10.7.18

प्रतिलिपि- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, नजारत शाखा चतरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झा.शि.प., चतरा।


10/7/18